HRA En UNIVERSITE OF India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बुंधवार, मई 11, 2005 वैशाख 21, 1927

No. 76]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2005/VAISAKHA 21, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2005

सं0 5—4/2000—ए एण्ड पी (वाल्यू II)—मारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) तिनियम, 2001 (2001 का 2) में आगे निम्नानुसार संशोधन करता है :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम

- (i) यह विनियम "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2005 (2005 का 8) कहा जाएगा।
- (ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. (i) भारतीय दूर—संचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के खण्ड 14 के पैरा (iii) के नीचे तालिका 'ख' में "अवर श्रेणी लिपिक" की प्रविष्टि के बाद वर्तमान प्रविष्टि "ड्राइवर" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

ड्राइवर (ग्रेड—I) ड्राइवर (ग्रेड—II)

(ii) भारतीय दूर—संचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के खण्ड 16 के पैरा (i) के अंतर्गत "अवर श्रेणी लिपिक" की प्रविष्टि के बाद वर्तमान प्रविष्टि "ड्राइवर" तथा इसकी तदनरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर

1476 GI/2005

निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :

ड्राइवर (ग्रेड—I) —वही— —वही— ड्राइवर (ग्रेड—II) —वही— —वही—

(iii) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची—II में वर्तमान प्रविष्टि "अवर श्रेणी लिपिक" तथा इसकी तदनरूपी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:

1	ड्राइवर	पदोन्नति / सीधी	(1) -0	0000 00 100		7
			(i) 8वीं पास	3050-75-4590	केन्द्र सरकार/राज्य	
	(ग्रेड—I)	भर्ती / प्रतिनियुक्ति	(ii) मोटर	रु० के वेतनमान		से ज्यादा
			कार चलाने	में ड्राइवर ग्रेड II	क्षेत्र के उपक्रमों में	न हो।
			का वैध	की 9 वर्ष की	समकक्ष पद पर तैनात	
			ड्राइविंग	नियमित सेवा वाले	अथवा ड्राइवर ग्रेड-II	
			लाइसेंस हो।	कर्मचारियों में से	के रूप में 9 वर्ष की	
			(iii) मोटर	` `	नियमित सेवा वाले	
			मैकेनिज्म का		कर्मचारी, जो	
			ज्ञान हो		निम्नलिखित अर्हता	
			(गाड़ी में	.e	रखते हों:	
	,		छोटी-मोटी	:	(i) 8वीं पास हों।	
Ì			खराबी ठीक		(ii) मोटर कार चलाने	
İ			कर सके)।		का वैध लाइसेंस रखते	
			(iv) मोटर		हों।	
			कार चलाने		(iii) मोटर मैकेनिक	
			का 12 वर्ष		का ज्ञान हो (गाड़ी में	
			का अनुभव		आई छोटी-मोटी	
			हो।		खराबी ठीक कर	
Ì					सकता हो)।	

और उसमें की गई 'ड्राइवर' की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "ड्राइवर ग्रेड —II" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम 2001 (2001 का 2) के क्र.सं. 9 पर की गई प्रविष्टि तथा तदनरूपी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :

10. ड्राइवर (ग्रेड-I) संयुक्त / उप-सलाहकार (प्र० एवं का०) अध्यक्ष ड्राइवर (ग्रेड-II) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी / (प्र० एवं का०) सदस्य वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी / (जीए) सदस्य

वर्तमान क्र.सं० 10 को क्र.सं० 11' के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा।

राजन सिंगला, सलाहकार (प्र॰ एवं का॰) [विज्ञापन सं॰ III/IV/142/2005-असा.]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2005

No. 5-4/2000-A&P (Vol.II) - In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 36 read with sub section (1) of section 10 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby further amends the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 of 2001), as follows, namely:

- 1. Short title and commencement:
 - (i) This Regulation shall be called "The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (4th Amendment) Regulation 2005" (8 of 2005).
 - (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. (i) The following entries shall substitute the existing entry "Driver" appearing after the entry 'Lower Division Clerk' in Table B below para (iii) of clause 14 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 of 2001):

Driver (Grade -I)
Driver (Grate- II)

(ii) The following entries shall substitute the existing entry "Driver" and its corresponding entries, appearing after the entry 'Lower Division Clerk' under para (i) of clause 16 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 of 2001):

Driver (Grade –I) -do- -do-Driver (Grate- II) -do- -do-

(iii) The following entries shall be inserted after the existing entry 'Lower Division Clerk' and its corresponding entries appearing in Schedule – II of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 of 2001);

Driver	Promotion	(i) 8 th Pass	Promotion	Officials of	Not
(Grade-I)	/ DR /	(ii)possessing a	from	Central/State/	1
	Deputation	valid driving	amongst		exceeding
}	- Spanner	licence for motor		PSUs holding	45 years.
		cars.	officials	equivalent post	
1	l -	cars.	j.	or with 9 years	
		(iii)]11	with 9	of regular	
		(iii)knowledge of	years of		
1		motor	regular	Driver Grade-	
t		mechanism	service in	II who possess	
		(should be able	the Driver	the following	
ļ		to remove minor	Grade-II	qualifications:-	
		defects in	in the pay	(i) Pass in 8 th	
		vehicles).	scale of	Standard (ii)	
		(iv)experience of	Rs.3050-	possessing a	
		driving of motor	75-459 0.	valid driving	
		cars for 12 years.		licence for	
		-		motor cars (iii)	
	j			knowledge of	
				motor	
				mechanism	
				(should be able	
				to remove	
i	İ	į	į	minor defects	
				1	ļ
<u> </u>				in vehicles).	1:

and the existing entry 'Driver' appearing therein shall be substituted by the entry 'Driver Grade-II'.

(iv) The following entries shall be inserted in Schedule III of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 of 2001) after entry at Serial No. 9 and corresponding entries;

10.	Driver (Grade-I)	Jt/Dy Advisor (A&P)	Chairman
	Driver (Grade-II)	SRO (A&P)	Member
		SRO (GA)	Member,

and the existing 'Serial No. 10' shall be renumbered as 'Serial No. 11'.

RAJAN SINGLA, Advisor (A & P) [ADVT No. III/IV/142/2005-Exty.]